।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail - dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No - 01372-252175

पत्रांकः 3093 /12-1 दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर 19 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होतु हुये बनियाला तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:– आपका पत्र सं0 309/12–1 दिनांक 14.07.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में चाही गयी सूचना अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग द्वारा अपने पत्र सं0 2152/10 एल0ए0 दिनांक 09.11.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:–

क्र. सं.	वन संरक्षक से चाही गयी सूचना	आख्या
1.	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों में प्रारूप सं0 अंकित किया जाय तथा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मार्ग दर्शिका 2014 के अनुसार प्रारूप 25 का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय।	प्रस्ताव में प्रारूप संख्या अंकित कर दी गयी है एवं प्रारूप 25 का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
2.	ग्रामसभा चूलाकोट तथा स्वर्का का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय।	ग्राम सभा स्वर्का, चूलाकोट ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आती है जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव में लाभान्वित ग्रामो की अपूर्ण सूचना प्रेषित की गयी है। लाभान्वित ग्रामो के परिवारों की संख्या व उनकी जनसंख्या अंकित की जाय।	प्रस्ताव में लाभान्वित ग्रामों के परिवारों की संख्या एवं जनसंख्या अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न की गयी है।
4.	वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ द्वारा वृक्षों की सूची में वन पंचायत रतूड़ा दिखा गया है जबकि प्रस्ताव के लैण्ड शैड्यूल में सिविल/वन पंचायत दिखाया गया है जिससे वन भूमि की विधिक स्टेटस के सम्बन्ध में स्पष्ट नही हो पा रहा है कि प्रभावित वन भूमि का विधिक स्टेटस क्या है तथा भ्रामक की स्थिति बनी है। उक्त के सम्बन्ध में आप अपने सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड व राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षक के साथ स्थलीय निरीक्षण कर भूमि की विधिक स्थिति स्पष्ट करे तथा निर्धारित प्रपत्र में सही अंकित कर सूचना इस कार्यालय कोचार प्रतियों में ऑफ लाईन तथा ऑनलाईन उपलब्ध कराये।	प्रस्तावक विभाग द्वारा टकण की त्रुटिवश ग्राम रतूड़ा गांव की कुल 0.2978 है0 भूमि सिविल सोयम भूमि अंकित हो गयी, जबकि ग्राम रतूड़ा गाव की 0.245 है0 भूमि वन पंचायत एवं 0.0525 है0 भूमि सिविल सोयम वन भूमि है। जिसे प्रस्ताव में सुधार कर लिया गया है। तथा ऑफ लाईन में प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाईन पार्ट ।। के Additional information में अपलोड कर लिया गया है।
5.	प्रस्ताव में संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन न होने के प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं हो रहा है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र में निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं होने का उल्लेख कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः–प्रस्ताव की 04 प्रतियां।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 3093 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

6/2

Scanned with CamScanner